

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 409] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 1975/आदिपन 9, 1897

No. 409] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 1975/ASVINA 9, 1897

इस भाग में भिन्न 153 संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 1st September 1975

S.O. 566(E)/18FB/IDRA/75.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, No. S.O. 542(E)/18AA/IDRA/74, dated the 13th September 1974, the management of the Industrial undertaking known as Amritsar Sugar Mills Company Ltd., Amritsar (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) in so far as it relates to the factory known as Amritsar Oil Works, Amritsar (hereinafter referred to as the said factory) was taken over under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951) for a period of five years commencing from the 13th September, 1974;

And whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, No. S.O. 549(E)/18FB/IDRA/74, dated the 19th September 1974 the Central Government had declared that—

- (a) the enactments, or portions thereof, as the case may be, specified in the Schedule to that Order shall not apply to the said industrial undertaking in so far as they related to the said factory; and
- (b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said

industrial undertaking was a party in so far as they related to the said factory, or which might be applicable to it immediately before the 19th September, 1974 and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period of one year commencing from the 19th September 1974;

And whereas the said period of one year has expired;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the interest of the general public with a view to preventing fall in the volume of production in a scheduled industry, namely vanaspati;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that—

- (a) the enactments or portions thereof, as the case may be specified in the Schedule to this Order shall not apply to the said industrial undertaking in so far as they relate to the said factory;
- (b) the operation of contracts, assurances of property, agreement, settlements, awards, standing orders or other instruments, in force (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions), to which the said industrial undertaking is a party in so far as they may relate to the said factory, or which may be applicable to it immediately before the date of publication of this Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing and arising thereunder before the said date shall remain suspended.

2. This Order shall remain in force for a period of one year.

THE SCHEDULE:

- (1) The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946;
- (2) The following chapters and section of the Industrial Disputes Act, 1947, namely:—
 - (i) Chapter V—A
 - (ii) Section 33 (c)
 - (iii) Section 9 (A)

[No. 4/3/74-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1975

का० आ० 566 (अ) / 18 एफ० बी०/आई० डी० आर० ए०/75.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आवेश सं० का० आ० 542 (ई) / 18 एफ० आई० डी० आर० ए०/74, तारीख 13 सितम्बर, 1974 द्वारा, अमृतसर सुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, अमृतसर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के रूप में ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, जहां तक कि उसका संबंध अमृतसर आयल वर्क्स अमृतसर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कारखाना कहा गया है) के रूप में ज्ञात कारखाने से है, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क क के अधीन, 13 सितम्बर, 1974 से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था;

और भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 549(ई)/18एकबी/आई डी आर ए/74, तारीख 19 सितम्बर, 1974 द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की थी कि—

- (क) उस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, अधिनियमितियां या उनके प्रमाण उक्त औद्योगिक उपक्रम को, जहां तक कि उनका संबंध उक्त कारखाने से है, लागू नहीं होंगे; और
- (ख) उन सभी प्रवृत्त संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (जो उन से भिन्न हैं जो कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों के संबंध में हैं) का प्रवर्तन, जिसका कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, जहां तक उनका उक्त कारखाने से संबंध था, पक्षकार था, अथवा जो 19 सितम्बर, 1974 से ठीक पहले उसको लागू हो सकते थे, तथा उसके अधीन उक्त तारीख के पहले प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व, 19 सितम्बर, 1974 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे:

और एक वर्ष की उक्त अवधि समाप्त हो गई है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि किसी अनुसूचित उद्योग, अर्थात् वनस्पति उद्योग में उत्पादन के परिमाण में गिरावट का निवारण करने की दृष्टि से, जन साधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करती है कि—

- (क) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, अधिनियमितियां या उनके प्रमाण उक्त औद्योगिक उपक्रम को, जहां तक कि उनका संबंध उक्त कारखाने से है, लागू नहीं होंगे;
- (ख) उन प्रवृत्त संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (जो उन से भिन्न हैं जो कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों के सम्बन्ध में हैं) का प्रवर्तन, जिसका कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, जहां तक उनका संबंध उस उक्त कारखाने से हो सकता है, एक पक्षकार है, अथवा जो इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पहले उसको लागू हो सकते हैं, तथा उनके अधीन उक्त तारीख के पहले प्रोद्भूत और उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व निलम्बित रहेंगे।

2. यह आदेश एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

अनुसूची

- (1) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946;
- (2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के निम्नलिखित अध्याय और धाराएं, अर्थात्:—
 - (i) अध्याय V—क
 - (ii) धारा 33 (ग)
 - (iii) धारा 9(क)

[सं० 4/3/74-सी० यू० सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।